151

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 5 अप्रैल, 1995 (चैत्र 15, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा (37) की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का वार्षिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (दिनांक 31 मार्च, 1991) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) कुंवर विजय शाह, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल तथा गोपाल भार्गव, सदस्य, खंडवा जिले के ग्राम सुहागी की दो आदिवासी महिलाओं के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री प्रभात कुमार पाण्डेय, सदस्य, जबलपुर में समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित अनुरक्षण गृह में बालिकाओं के साथ व्यभिचार होने से उत्पन्न स्थिति की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री रामलखन सिंह (त्योंथर) तथा ओंकार सिंह बिसेन, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम कैथी में डकैती की घटित घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री बाबूलाल गौर, श्रीमती करुणा शुक्ला तथा श्री थावरचन्द गेहलोत, सदस्य, रायपुर में कुम्हारी स्थित केड़िया डिस्टिलरी के जलाशय के फूटने से प्रदूषण फैलने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री जयंत मलैया, सदस्य, दमोह में एक व्यक्ति की हत्या होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री रघुनंदन शर्मा, सदस्य, बैतूल के जिला न्यायालय परिसर में एक युवक की हत्या होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री गौरीशंकर बिसेन, डॉ. ढालसिंह बिसेन तथा श्री रघुनंदन शर्मा, सदस्य, गुना जिले के ग्राम बमोरिया में एक महिला की हत्या होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) कुमारी निर्मला भूरिया तथा श्री बच्चन नायक, सदस्य, झाबुआ जिले के ग्राम पिटोल में एक आदिवासी के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री रघुनंदन शर्मा तथा प्रभात कुमार पाण्डेय, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम मकुरी में पुलिस पिटाई से एक व्यक्ति की मौत होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य, बस्तर जिले के ग्राम कोण्डे के आदिवासियों के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा अकारण मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री नंदाराम सोरी तथा बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य, बस्तर जिले के कुमानार थाने के प्रभारी द्वारा आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर अभद्र व्यवहार किये जाने की घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री विक्रम सिंह उसेंडी, सदस्य, बस्तर जिले के भानुप्रतापपुर वन मंडल के अनेक ग्रामों में तेंदूपत्ता श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान न हो पाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री रामदेव सिंह, सदस्य, सतना जिले के ग्राम महाराजपुर के जंगलों में अवैध उत्खनन किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) डॉ. रमन सिंह, सदस्य, बस्तर जिले में मजदूरों को काम के बदले अनाज न मिलने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-